न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, महोदय संभाग ग्वालियर,

निगरानी-3195/2018/सतना/भू.रा

म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-........../18

रवि कुमार वाजपेयी आत्मज ज्ञानस्वरुप वाजपेयी

निवासी-कस्बा नागौद, गोपाल टोला नागौद

जिला-सतना वर्तमान पता-एम.आई.जी.-48,

हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर भोपाल म.प्र. ---------- आवेदक

विरुद्ध

1 बम्ह्मप्रकाश आत्मज महेन्द्र दत्त वाजपेयी,
आयु 65 वर्ष लगभग,पेशा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी,
निवासी नागौद,गोपाल टोला तह नागौद जिला सतना मप्र

2 आनन्द प्रकाश आत्मज महेन्द्र दत्त वाजपेयी,
आयु 45 लगभग, निवासी गोपाला टोला
नागौद तह सनागौद जिला सतना मप्र

3 श्रीमति विधुकान्ता पत्नि आनन्द प्रकाश वाजपेयी,
आयु 42 वर्ष,निवासी गोपाल टोला नागौद
तह नागौद जिला सतना मप्र

4 श्रीमति मीरा सिंह पत्नि सन्त प्रताप सिह साकिन,
निवासी-कचलोहा, तहसील-नागौद, जिला-सतना

5 श्री संदीपसिंह तनय श्री राजीव नयनसिंह,
निवासी राजेन्द्र नगर तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मप्र

06 शंकर सौरभ आत्मज कल्लूमल धनवानी
निवासी-पुरानी गल्ला मण्डी के बगल से
काका बूट हाऊस, तहसील-नागौद, जिला-सतना

7 मध्यप्रदेश शासन ------- अनावेदकगण

पुर्नरीक्षण अंर्तगत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

(2)

...कर्ता की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

...श्रीमान तहसीलदार, महोदय तहसील–नागौद, जिला–सतना म.प्र.के समक्ष प्रकरण ...क–81अ/74/16–17, मे पक्षकारगण–रवि कुमार बाजपेयी विरुद्ध ब्रह्मप्रकाश आदि,मे पारित आदेश दिनांक–16.03.2018 जो मूलतः प्रकरण क्रमांक–48अ–12/15–16 मे कि गयी कार्यवाही आदि से उत्पन्न हुआ वास्ते उक्त आदेश से दुखी एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यो एव आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कि जा रही है .

## प्रकरण के तथ्य

01 यह कि पुर्नरिक्षणकर्ता द्वारा मूलतः एक आवेदन अतंर्गत धारा–115,116 भू.राजस्व संहिता का आवेदन इस आश्य का दिनांक–12.05.2011 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि पुर्नरिक्षणकर्ता के बाबा हरप्रसाद बाजपेयी कुल पांच भाई,गणेशप्रसाद, सदाशिव, शिवप्रसाद, हरप्रसाद, ज्वाला प्रसाद, थे और ज्वाला प्रसाद लऔलाद फौत हो गये आवेदक/पुनरीक्षण कर्ता के पैतृक आराजी बगीचा ग्राम विकरा तहसील नागौद जिला सतना मप्र मे आराजी नंबर 123 रकबा 14 बीघा 3 विस्वा था // उक्त भूमि का आगे बगीचे से सम्बोधित किया जहा रहा है //और उक्त बगीचे के कुछ अश भाग मे मूलतः आवेदक के परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार होकर समाधी स्थल बने हुए है वास्ते उक्त बगीचे मे सभी भाईयों का बराबर हिस्सा था ज्वाला प्रसाद के लऔलाद फौत हो जाने पर चारों भाईयो का बराबर हक व स्वत्व रहा और आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता हरप्रसाद का नाती है ।

02 यह कि ग्राम बिकरा के उक्त बगीचा का विभाजन चारों भाईयों के मध्य 10/1/99 को हो गया और इस प्रकार चार भाग बराबर किये गये । उत्तर से श्री चन्द्रिका प्रतापसिंह को अहरी तरफ का प्रथम भाग श्री बम्ह प्रकाश वाजपेयी और अनावेदक नंबर 2 को 3 बीधा 11विस्वा उसके दक्षिण इतना ही रकबा यानी 1/4 भाग आवेदक के पिता को उसके

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3195/2018/सतना/भू.रा.

रविकुमार वाजपेयी विरूद्ध ब्रम्हप्रकाश आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11–03–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री अभयदीप सक्सैना अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील–नागौद, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक .81/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन) 11-3-19<br>सदस्य | |